न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 29/2020 | दायर दिनाँक 21.01.2020

वादी		प्रतिवादीगण
1. गोरधन भाटी पुत्र लच्छाराम भाटी उम्र 40 वर्ष 2. घनश्याम पुत्र लच्छाराम उम्र 36 वर्ष 3. कालुराम पुत्र लच्छाराम उम्र 33 वर्ष 4. जगदीश भाटी पुत्र लच्छाराम समस्त जाति माली निवासीगण भाटी बास डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. लच्छाराम पुत्र रामूराम उम्र 65 वर्ष जाति माली निवासी भाटी बास, तहसील डीडवाना जिला नागौर। 2. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री दानाराम भाटी वकील वादीगण।
2. श्री जगदीश गिरी वकील प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 06.09.2021

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि सरहद पठानों का बास पटवार क्षेत्र सिंघाना में खेत खसरा सं0 333/178 रकबा 21 बीघा 01 बिस्वा स्थित है, जो वर्तमान में प्रतिवादी सं0 01 लच्छाराम के नाम दर्ज है।

यह है कि प्रतिवादी सं. 01 लच्छाराम वादीगण के प्राकृतिक पिता है जो राजकीय सेवा निवृत कर्मचारी है। जिन्हे राजकीय नियमानुसार माहवारी पेंशन प्राप्त होती है। जिनसे वे अपना भरण–पोषण आराम से करते है तथा भावी भरण पोषण की भी व्यवस्था कर दी गई है एवं प्रतिवादी 01 के खसरा नं0 2489 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा भूमि जो डीडवाना में अवस्थित है जिस में से 1/2 हिस्सा उनके नाम से दर्ज है। जो बहुमुल्यवान व अतिकिमती है। जिसे सम्पूर्ण ही प्रतिवादी सं0 01 को बंट व हिस्से में दी हुई है। जिस पर वर्तमान में काबिज भी है।

यह है कि उपरोक्त वर्णित खेत में वादीगण परदादा गोगाराम उर्फ गोगुराम उर्फ भोंमा के खातेदारी व कब्जे काश्त में रहा जिनके स्वर्गवास पश्चात विरासत में उक्त भूमि उनके पुत्र रामूराम वगैरह के खातेदारी कब्जा काश्त में रहा तथा उक्त रामूराम के देहान्त के पश्चात उक्त खेत प्रतिवादी सं0 01 लच्छाराम को प्राप्त हुआ, इस प्रकार उक्त सम्पति पैतृक विरासत से प्राप्त होने से वादीगण उनके जायंदा पौत्र/पुत्र है।

यह है कि वाद में उपरोक्त वर्णितानुसार उक्त भूमि पैतृक सम्पति है जो विरासत में प्रतिवादी सं0 01 लच्छाराम को प्राप्त हुई है जिसका वर्षो पूर्व पक्षकारान ने पारस्परिक पारिवारिक मौखिक विभाजन ... जिस ... नजरी नक्शा वाद के अनुसार मौके पर सींवे–निवें कायम हो चुकी है जिस ... साथ संलग्न पेश है तथा वादीगण के ... की सिंवे–निवे कायम हो चुकी है जो इस प्रकार ...

Signature Not Verified
Digitally Signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:39:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

खसरा सं0 333 / 178 रकबा 21 बीघा 01 बिस्वा वाकै सरहद पठानों का बाढ

1. वादी सं0 01 गोरधनराम के बंट व हिस्से की भूमि – उत्तरी तरफ का 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि।
2. वादी सं0 02 घनश्याम के बंट व हिस्से की भूमि – वादीगण सं0 03, 04 के मध्य भाग की 05 बीघा 06 बिस्वा भूमि।
3. वादी सं0 03 कालूराम के बंट व हिस्से की भूमि – वादीगण सं0 01 व 02 के मध्य भाग की 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि।
4. वादी सं0 04 जगदीश के बंट व हिस्से की भूमि – दक्षिणी तरफ का 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। साक्ष्य वादी में आसाराम भाटी व भागीदेवी के शपथ–पत्र पेश हुए। नजरीनक्शा के अनुसार वादी सं0 03 व 04 तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकुलाय पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान् खातेदारी चाहते हैं। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, पठानों का बाढ़ में खसरा 333 / 178 की भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसार निम्न प्रकार खातेदारी घोषित कर वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

1. वादी सं0 01 गोरधनराम के बंट व हिस्से की भूमि – उत्तरी तरफ का 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि।
2. वादी सं0 02 घनश्याम के बंट व हिस्से की भूमि – वादीगण सं0 03 व 04 के मध्य भाग की 05 बीघा 06 बिस्वा भूमि।
3. वादी सं0 03 कालूराम के बंट व हिस्से की भूमि – वादीगण सं0 01 व 02 के मध्य भाग की 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि।
4. वादी सं0 04 जगदीश के बंट व हिस्से की भूमि – दक्षिणी तरफ का 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि।

नजरीनक्शा, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:39:53 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनाँक 06.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **29/2020** दायर दिनाँक **21.01.2020**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. गोरधन भाटी पुत्र लच्छाराम भाटी उम्र 40 वर्ष 2. घनश्याम पुत्र लच्छाराम उम्र 36 वर्ष 3. कालुराम पुत्र लच्छाराम उम्र 33 वर्ष 4. जगदीश भाटी पुत्र लच्छाराम समस्त जाति माली निवासीगण भाटी बास डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. लच्छाराम पुत्र रामूराम उम्र 65 वर्ष जाति माली निवासी भाटी बास, तहसील डीडवाना जिला नागौर। 2. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **06.09.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री दानाराम भाटी वकील वादीगण व श्री जगदीश गिरी वकील प्रतिवादी 01 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, पठानों का बाढ़ में खसरा 333/178 की भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसार निम्न प्रकार खातेदारी घोषित कर वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

1. वादी सं0 01 गोरधनराम के बंट व हिस्से की भूमि – उत्तरी तरफ का 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि।
2. वादी सं0 02 घनश्याम के बंट व हिस्से की भूमि – वादीगण सं0 03 व 04 के मध्य भाग की 05 बीघा 06 बिस्वा भूमि।
3. वादी सं0 03 कालूराम के बंट व हिस्से की भूमि – वादीगण सं0 01 व 02 के मध्य भाग की 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि।
4. वादी सं0 04 जगदीश के बंट व हिस्से की भूमि – दक्षिणी तरफ का 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि।

नजरीनक्शा, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.09.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:39:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:39:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner